

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला बैतूल के अन्तर्गत वनमंडल दक्षिण बैतूल के असीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र O.A. के ग्राम चौकी खसरा नं. 69/1, 83/1, 91/1 एवं 103/1 का रकबा 4.578 हे. एवं ग्राम रातामाटी के खसरा नम्बर 418, 515/1, 515/3 एवं 351/1 का रकबा 2.044 हेक्टेयर कुल रकबा 6.622 हे0 वनभूमि तथा राजस्व विभाग के अधिपत्य में ग्राम चौकी खसरा नं. 73 एवं 94 रकबा 0.320 तथा ग्राम रातामाटी खसरा नं. 416 रकबा 0.060 हेक्टेयर कुल 0.380 हे0 राजस्व वनभूमि, इस प्रकार कुल 7.002 हेक्टेयर वनभूमि प्रभुत्वाना जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

दिनांक: 12/02/19
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
सचिव

मध्य
राज्य, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)